

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या-01/स्था०विधि-102/2023-

/पटना, दिनांक

जनवरी, 2024

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 (अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023) में निहित शर्तों के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रधान लिपिक (वेतन स्तर-6) का वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी का प्रभार विभागीय पत्रांक-1446/सी.सी. दिनांक-05.12.2023 के द्वारा दिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित एवं स्तंभ-5 में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

| क्रमांक | नाम/पदनाम                           | वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम      | नव पदस्थापित कार्यालय का नाम         | अभियुक्ति                                                                                      |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                   | 3                                      | 4                                    | 5                                                                                              |
| 1       | श्री विनय पासवान, प्रधान लिपिक      | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर।    | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर |                                                                                                |
| 2       | श्रीमती मंजू कुमारी, प्रधान लिपिक   | सहायक निदेशक, ईख विकास, गया।           | सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।      | उप निदेशक, ईख विकास, पटना के कार्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।                           |
| 3       | श्री हरेशम प्रसाद, प्रधान लिपिक     | ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर।               | सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।   | ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।                                         |
| 4       | श्री कुंदन कुमार सिंह, प्रधान लिपिक | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।      | सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।    |                                                                                                |
| 5       | श्रीमती जयंती देवी, प्रधान लिपिक    | सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)।  | उप निदेशक, ईख विकास, पटना            |                                                                                                |
| 6       | श्री राधेश्याम कुमार, प्रधान लिपिक  | उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर)। | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।        |                                                                                                |
| 7       | श्री जय प्रकाश प्रसाद, प्रधान लिपिक | ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल, बेतिया।     | सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।      | ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया के कार्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त।                    |
| 8       | श्री विनय कुमार सिंह, प्रधान लिपिक  | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।      | सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।    | अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी का कार्य अगले आदेश तक निष्पादित करेंगे। |

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

3. पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-

(गिरिवर दयाल सिंह)  
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या- 119/CC -

/पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कोषागार/सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गिरिवर दयाल सिंह)  
ईखायुक्त, बिहार।